

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1692 तारांकित प्रश्नांश (क) परिशिष्ट - 1

1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध बनाये गए प्रकरणों की सहस्रीलवार फॉर्मवार जानकारी

क्र.	तहसील	फॉर्म का नाम	विवरण
1	बड़नगर	मेसर्स गजानंद मार्केटिंग लोकमान्य बिल्डिंग पथ अमर एगो इण्डस्ट्रीज के सामने बड़नगर	फॉर्म मेसर्स गजानंद मार्केटिंग के प्रोपराइटर रवि पिता नरेश कल्याण के विरुद्ध सर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 7/5.3 (3), भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना बड़नगर में एफ.आई.आर. क्रमांक 0788 दिनांक 19.11.2021 दर्ज कराई जाकर विक्रेता का सर्वरक लायसेंस निरस्त किया गया है।
2	महिंदपुर	मेसर्स अर्बन एगो महिंदपुर घोसला रोड महिंदपुर	फॉर्म अर्बन एगो महिंदपुर घोसला रोड रोमाबेल्स के प्रोपराइटर श्री मोहित पिता रमेश चन्द्र चौपड़ा के विरुद्ध सर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3 (3), एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थानी महिंदपुर में एफ.आई.आर. क्रमांक 0510 दिनांक 17.12.2021 दर्ज कराई जाकर विक्रेता का सर्वरक लायसेंस निरस्त किया गया है।
3	उज्जैन	निरंक	निरंक
4	खायसीद	निरंक	निरंक
5	घटिया	निरंक	निरंक
6	तराना	निरंक	निरंक

अनुभाग-अधिकारी (2)
मध्य प्रदेश शासन,
इपि विभाग, मंडाल, भोपाळ.

संयुक्त-संचालक (उत्तरक)

उप-संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विभाग,
जिला उज्जैन